आए थे और फरवरी, १९६४ में वह स्वास्थ्य मंत्री जी से मिले भी थे; और

(ख) उन्होंने कुष्ठ रोग के बारे में क्या राय दी ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू): (क) फ्रेंच एकेडमी आफ ओवरसीज साइंसेज के श्री राउल फोलेरा जो पेरिस की आर्डर आफ चेरिटी के अध्यक्ष भी हैं, ने २७ जनवरी से २० फरवरी, १९६४ तक भारत की यात्रा की । दिल्ली के तीन दिन के अपने अल्पप्रवास में उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री जी से एक शिष्टाचार भेंट की ।

(ख) इस मुलाकात के दौरान कुष्ठ समस्या के किसी पहलू पर कोई गंभीर चर्चा नहीं हुई ।

All India Institute of Medical Sciences, New Delhi

1109. **Shri Kashi Ram Gupta:**
Shri Bade:
Shri Lahri Singh:
Shri S. M. Banerjee:

Will the Minister of **Health** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in 1963 surgical instruments were stolen from the operation theatre of the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi;

(b) whether it is also a fact that in the police report of the said theft the value of the articles was shown as Rs. 20,000; and

(c) the result of the investigation?

The Deputy Minister in the Ministry of Health (Dr. D. S. Raju): (a) Yes.

(b) The articles found missing, as originally reported to the police were valued at Rs. 15,127:07 n.P. As a result of further departmental checking, the value of surgical instruments/equipment missing were valued at Rs. 6,396.02 n.P. This has since been reported to the police.

(c) The matter is still under police investiation and its result is awaited.

दिल्ली के स्कूलों में चेचक के टीके

१११०. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के स्कूल में भर्ती होने से पहले बच्चों को चेचक के टीके लगाना अनिवार्य कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह योजना दिल्ली के अलावा अन्य किन-किन स्थानों पर लागू की गई है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू): (क) दिल्ली में चेचक के टीके लगाना अनिवार्य नहीं किया गया है । लेकिन दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली के स्थानीय निकायों और सभी सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के मुख्याध्यापकों से अनुरोध किया था कि वे स्कूलों में भर्ती करने से पहले बच्चों को टीके के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने को कहें । यदि बच्चों के माता-पिता टीके के प्रमाण-पत्र तुरन्त नहीं दे सकते, तो बच्चे को भर्ती करने से इनकार नहीं किया जाता किन्तु उन्हें प्रमाण-पत्र पेश करने के लिए तीन मास की अवधि दी जाती है ।

(ख) एक विवरण, जिस में अपेक्षित सूचना दी गई है, इस प्रकार है ।